कार्यालय : आयकर निदेशक (छूट), सातवी मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 29/5/2002

फा0सं0:आ0नि0(छूट)/2001-02/ K-560/ 290

आवेदक का नाम व पता कर्म मार्ग चैरिटेबल सोसाइटी
डी0-45, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली - 110049

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क क (1) (ख) के साथ पठित धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकरण का आदेश।

1 धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए फार्म संख्या 10ए में एक आवेदन पत्र 10/1/2001 को प्रस्तुत किया गया था।

2 इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने में ---------- दिनों का विलम्ब हुआ था, इस विलम्ब को माफ करने के लिए कोई याचिका नहीं दी गयी।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी का गठन, दिनांक ---------- के न्यास प्रलेख/सोसायटी के ज्ञापन के द्वारा किया गया है। न्यास/संगम (एसोसिएशन), सोसायटी/बिना लाभ के कम्पनी के उद्देश्य, न्यास के प्रलेख/संगम (एसोसिएशन) के ज्ञापन पैरा संख्या ---------- में दर्शाये गए हैं।

4 न्यास/प्रबन्धक के कथनानुसार जोकि उनके दिनांक ---------- के पत्र द्वारा भी सूचित किया गया है, के अनुसार न्यास का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियाँ ---------- आयोजित करना होगा।

5 इस कार्यालय द्वारा निरीक्षक के माध्यम से न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की जाँच करवायी गयी थी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार सोसायटी का कार्यालय ---------- पर स्थित गतिविधियों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित ---------- ढांचा इसके पास उपलब्ध है ----------

6 इस विलेख में कोई गैर धार्मिक कार्य करने का उद्देश्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के योगीराज न्यास (103 आईटीआर 777) के मामले में दिये गये निर्णय के विरुद्ध हो। ज्ञापन/न्यास के विलेख और न्यास की वास्तविक गतिविधियों के अवलोकन करने/मेरे समक्ष किए गए दावे के अनुसार मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि यह धारा 12ए/12एए में दी गयी शर्तों को यह पूरा करता है। न्यास की गतिविधियाँ वास्तविक है और धर्मार्थ कार्य है। धारा 12एए (1)बी के साथ पठित धारा 12ए के अन्तर्गत दिनांक ---------- से पंजीकरण एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाये।

शर्तें :-

1 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए(1) (बी) के साथ पठित धारा 12ए(क) के अन्तर्गत जारी आदेश से आवेदक को धारा 11, 12 तथा/अथवा 13 में अपनी आय कर से छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। आय पर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब निर्धारण अधिकारी इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हो कि संचालित की जा रही घोषित तथा प्रतिज्ञात (प्रोमिस्ड) गतिविधियाँ वास्तविक हैं तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंधित निर्धारण वर्ष में उसका दावा किया गया है। और उन पर लागू सभी कानूनी प्रावधानों को पूरा करता है।

2 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी इस अधिनियम की धारा 139(ए)(i)(ii) व (iii) में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त करेगी तथा अपने स्थायी लेखा नम्बर से इस कार्यालय को सूचित करेगी।

3 न्यास/सोसायटी/बिना लाभ की कम्पनी नियमित रूप से अपने लेखे का रखरखाव करेगी और आयकर अधिनियम की, 1961 की धारा 12ए(ब) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसकी लेखा परीक्षा करवायेगी। ज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक गतिविधि का अलग-अलग लेखा रखना होगा। इस लेखे की एक-एक प्रति निर्धारण अधिकारी का प्रस्तुत करनी होगी।
संगठन द्वारा की जा रही अथवा की जाने वाली गतिविधियों की सूचना तथा लाभान्वित होने वाले समुदायों से संबंधित, सार्वजनिक सूचना अपने पंजीकृत/नामित कार्यालय पर लगानी पड़ेगी।

4 आयकर अधिनियम की धारा 11(4क) के अनुपालन में लाभ प्राप्ति के लिए कारोबार के प्रासंगिक लाभ और अभिलाभ का लेखा अलग रखा जाएगा।

5 सभी सार्वजनिक राशि, समूह से प्राप्त राशि तथा अनुदान का संचालन, बैंक के माध्यम से होगा तथा उसकी खाता संख्या इस कार्यालय को सूचित करनी होगी।

6 न्यास के विलेख/सोसायटी के ज्ञापन में किसी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित उच्च न्यायालय/समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन बिना प्रभावी नहीं होगा। [illegible] चेम्बर ऑफ कामर्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुख्य उद्देश्यों पर बिना किसी परिवर्तन के भविष्य में भी निष्ठापूर्वक कार्य करना होगा।

7 अधोहस्ताक्षरित को सूचित किए बिना कोई भी सम्पत्ति किसी को भी स्थानांतरित नहीं की जा सकती चाहे वह न्यास/सोसायटी/बिना लाभ वाली कम्पनी ही क्यों न हो।

8 यदि बाद में यह पाया जाता है कि यह पंजीकरण धोखाधड़ी/मिथ्या निरूपण या किसी तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण [illegible] जायेगा।

9 आयकर अधिनियम [illegible] धारा 12 क क के अन्तर्गत एतद्द्वारा आदेश पारित किया जाता है तथा इसका इन्दराज इस का[illegible] रजिस्टर में [illegible] पूरा कर लिया गया है।

Sd/
(वी. जी. बन्सल)
आयकर निदेशक (छूट), नई दिल्ली

आयकर निदेशक (छूट)
7वीं मंजिल, मयूर भवन
नई दिल्ली

(देवेन्द्र सिंह)
Income Tax Officer (E) (HQ) 7th Floor,
Mayur Bhawan New Delhi

आयकर निदेशक (छूट) नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-
1 आवेदक [illegible]
2 निर्धारण अधिकारी [illegible] आयकर अधिकारी (छूट)